(10)

ब न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवाम०प्र०

(454 8.8.13)

1 वृन्दावन काछी पिता समलकाछी नि०हर्दी तह०गुढ, जिलारीवा
2 गुड्डी पुत्री समल काछी नि० हर्दी तह०गुढ, जिलारीवाम०प्र०
आवेदकगण

बनाम

1 रामकिशोर तनय भूरा काछी सा० हर्दी तह०गुढ, जिलारीवाम०प्र०
2 शासनम०प्र० अनावेदकगण

अभिभाषक श्री सी.पी.मिश्रा
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि. 8-8-13

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदारसा. तह०गुढप्र०क्र० 57अ12/2012.13
आदेशदिनांक 18.7.2013.
अंतर्गतधारा 50 म०प्र०भू.रा.सं. 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखितहै। कि ग्रामहर्दी स्थित आराजी खसरानं. 54/1 रकवा 0.47ए.का भूमिस्वामी आवेदकगण है अनावेदकक्र.1 रामकिशोर व उसकेपुत्रों ने इस आराजीकाअंश रकवा मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार भूमिस्वामीअधिकार का प्रदान कियाजाना अधिनियम1980 केतहतबिना आवेदकगणकी सूचना व जानकारी दिये न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारीमहोदयतह०गुढ द्वारा करालिए जानकारी होने पर आवेदकगणन्यायालयअपर कलेक्टरकेसमक्षअनुविभागीयअधिकारी केआदेश के विरुद्धअपीलकियाहैजो विचाराधीनहै, इस प्रकार अना०क्र०1 जिसे भूमिस्वामीहक प्राप्त ही नहीहै श्रीमान तहसीलदार साहबतह०गुढ के समक्ष सीमांकनकाआवेदन पत्र प्रस्तुतकिया सीमांकन न किएजानेकी आपत्ति आवेदकक्र.1 द्वारा पेशकीगईजिसेअमान्य करतेहुए तहसीलदार सा०गुढ द्वारा सीमांकन कराया जाकर सीमांकन कीपुष्टिकी गईजिससे व्यथितहोकर आवेदकगण निम्नलिखितआधारोंपर निगरानी दायर कर रहेहैं।

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– **R.3227–III** / 13 जिला–रीवा

वृन्दावन काछी / रामकिशोर काछी

(1)	(2)	(3)
18.07.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	